भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2018
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉफी किसानों को सहायता

2018. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज :

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में राज्य -वार कुल कितना कॉफी उत्पादन हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा कॉफी उत्पादकता और निर्यागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में कॉफी की खेती पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास छोटे और मध्यम कॉफी किसानों को सहायता देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

राज्य	मात्रा (टन में)		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
कर्नाटक	241650	248020	254575
केरल	69900	72425	73750
तमिलनाडु	17970	18700	19340
आंध्र प्रदेश	11765	12265	12210
ओडिशा	565	465	465
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	150	125	160
कुल	342000	352000	360500

स्रोत: कॉफी बोर्ड

(ख) और (ग) कॉफी बोर्ड अपनी स्कीम 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी)' के माध्यम से कॉफी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलाप करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च उपज के साथ उन्नत पौधों की किस्मों का विकास करना, कीट और रोगों के प्रति सहनशीलता और जलवायु संबंधी लचीलापन; कॉफी उत्पादकों को गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति, पुराने/जीर्ण पौधों का पुनर्रोपण और कीटों तथा रोगों के एकीकृत प्रबंधन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना शामिल है। कॉफी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कॉफी बोर्ड विभिन्न कार्यकलाप करता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/कार्यक्रमों में भागीदारी करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, ब्रांड निर्माण एवं संवर्धनात्मक अभियान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कॉफी के सत्रों का आयोजन करना तथा बरिस्ता कौशलों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(घ) जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में कॉफी की जलवायु-अनुकूल किस्मों का विकास, जलवायु विविधताओं की आवधिक निगरानी करना तथा कॉफी उपजकर्ताओं को उपयुक्त समयबद्ध परामर्शिकाएं जारी करना, कॉफी हितधारकों को बदलती स्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता करने हेतु मौसम संबंधी सूचना का प्रसार करना और जलवायु संबंधी अध्ययन करना शामिल है।

(ङ) कॉफी बोर्ड सीमांत एवं छोटे किसानों को पुनर्रोपण, जल संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन, फार्म प्रचालनों के यांत्रिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी समावेशन कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है।

***